

प्रेषण

महानिदेशक,
राज्य परिवहन हरियाणा,
चण्डीगढ़।

सेवा में

2-

सभी महाप्रबन्धक,
हरियाणा राज्य परिवहन,
उड़नदरता अधिकारी,
आई०एस०बी०टी०— दिल्ली / चण्डीगढ़।

क्रमांक 4215-39 / टी०आई०-३
दिनांक ०३-९-२०१३

विषय:- हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में आरक्षित सीटें उपलब्ध करवाने व
बैबेसाईट पर मोबाईल अकिंत करने वारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में आप को निर्देश जारी किये जाते हैं कि
हरियाणा राज्य परिवहन विभाग द्वारा आरक्षित की गई सीटों पर यात्रियों को सीटें
उपलब्ध करवाने हेतु अपने अपने आगारों के चालकों/परिचालकों को आदेश जारी
करें। सभी महाप्रबन्धक व यातायात प्रबन्धक अपने अपने लैण्डलाईन फोन नम्बर व
परिवहन विभाग द्वारा जिन अधिकारियों को मोबाईल जारी किये हुये हैं, सभी फोन
नम्बर परिवहन विभाग की बैबेसाईट पर अकिंत करवाते हुये सभी बसों के अन्दर भी
अकिंत किया जाये। इस के अतिरिक्त सभी बस स्टैप्हों पर शिकायत पुस्तिका भी
उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
आदेशों की पालना दृढ़ता से की जाये।

सलांगन / प्रति

पृ० कं०

/ टी०आई०-३

M
कृते: महानिदेशक,
राज्य परिवहन हरियाणा चण्डीगढ़।
दिनांक ३१९१३

इस की एक प्रति hardeep Singh < hardeep 0201 @ Yahoo. Co. in >
को भेज कर अवगत करवाया जाता है कि हरियाणा परिवहन की बसों में सीटें आरक्षित
जहां से बस बन कर चलती हैं / केवल वहां से सीटें आरक्षित की जाती हैं।

— ३१ —
कृते: महानिदेशक,
राज्य परिवहन हरियाणा चण्डीगढ़।